



भारत सरकार

**भारत
का
विधि
आयोग**

**संपूर्ण भारत को लागू नये मृत्यु समीक्षक
अधिनियम के अधिनियमन के लिए प्रस्ताव**

रिपोर्ट सं. 206

जून, 2008



भारत का विधि आयोग

(रिपोर्ट सं. 206)

संपूर्ण भारत को लागू नये मृत्यु समीक्षक अधिनियम के
अधिनियमन के लिए प्रस्ताव

संघ के विधि और न्याय मंत्री, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत
सरकार को डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन्, अध्यक्ष, भारत का
विधि आयोग द्वारा 10 जून, 2008 को प्रस्तुत किया गया ।

18वें विधि आयोग का 1 सितंबर, 2006 से तीन वर्ष की अवधि के लिए भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग, नई दिल्ली के तारीख 16 अक्टूबर, 2006 के आदेश सं. ए-45012/1/2006-प्रशा.।।। (वि.का.) द्वारा गठन किया गया था ।

विधि आयोग अध्यक्ष, सदस्य-सचिव, एक पूर्णकालिक सदस्य और 6 अंशकालिक सदस्यों से मिलकर बना है ।

अध्यक्ष

माननीय डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन्

सदस्य-सचिव

डा. डी. पी. शर्मा

पूर्णकालिक सदस्य

प्रो. डा. ताहिर महमूद

अंशकालिक सदस्य

श्री न्यायमूर्ति आई. वेंकटनारायण

श्री ओ. पी. शर्मा

डा. के. एन. चंद्रशेखरन पिल्लै

डा. श्रीमती देविन्दर कुमारी रहेजा

प्रो. श्रीमती लक्ष्मी जमभोलकर

श्रीमती कीर्ति सिंह

विधि आयोग भारतीय विधि संस्थान भवन,
दूसरी मंजिल, भगवान दास रोड,
नई दिल्ली - 110 001 में अवस्थित है

विधि आयोग कर्मचारिवृंद

डा. डी. पी. शर्मा, सदस्य - सचिव
डा. ब्रह्म अग्रवाल, अपर सचिव

अनुसंधान कर्मचारिवृंद

श्रीमती पवन शर्मा	:	अपर विधि अधिकारी
श्री जे. टी. सुलक्षण राव	:	अपर विधि अधिकारी
श्री सर्वन कुमार	:	उप विधि अधिकारी
श्री ए. के. उपाध्याय	:	उप विधि अधिकारी
डा. वी. के. सिंह	:	सहायक विधि अधिकारी
श्री सी. राधा कृष्ण	:	सहायक विधि अधिकारी

प्रशासन कर्मचारिवृंद

श्री डी. चौधरी	:	अपर सचिव
श्री एस. के. बसु	:	अनुभाग अधिकारी
श्रीमती रजनी शर्मा	:	सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी

इस रिपोर्ट का पाठ इंटरनेट पर <http://www.lawcommissionofindia.nic.in> पर उपलब्ध है

© सरकार का प्रतिलिप्याधिकार 2008
भारत का विधि आयोग
भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
नई दिल्ली - 110 001
भारत

इस दस्तावेज का पाठ (सरकारी चिहनों को छोड़कर) किसी रूप विधान में या किसी माध्यम से निःशुल्क प्रत्युत्पादित किया जा सकता है परंतु यह कि उसको शुद्ध रूप से प्रत्युत्पादित किया जाए और उसका भ्रामक संदर्भ में उपयोग न किया जाए। सामग्री को सरकार के प्रतिलिप्यधिकार के रूप में अभिस्वीकार किया जाना चाहिए और दस्तावेज का नाम विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए ।

इस रिपोर्ट से संबंधित किसी पूछताछ के लिए सदस्य-सचिव, भारत का विधि आयोग, दूसरी मंजिल, भारतीय विधि संस्थान भवन, भगवान दास रोड, नई दिल्ली - 110 001, भारत को संबोधित किया जाना चाहिए । फ़ैक्स 91-11-23388870 या ई-मेल : dr.dpsharma@nic.in

डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन्
(भूतपूर्व न्यायाधीश, भारत का उच्चतम न्यायालय)
अध्यक्ष, भारत का विधि आयोग

भा. वि. सं. भवन (दूसरा तल),
भगवान दास रोड,
नई दिल्ली-110001

टेली. : 91-11-23384475

फैक्स : 91-11-23383564

अ.शा.पत्र सं. 6(3)137/2007-वि.आ.(वि.अ.)

10 जून, 2008

प्रिय डा. भारद्वाज जी

विषय : संपूर्ण भारत को लागू नये मृत्यु समीक्षक अधिनियम के
अधिनियमन के लिए प्रस्ताव ।

मैं इसके साथ "संपूर्ण भारत को लागू नए मृत्यु समीक्षक अधिनियम
के अधिनियमन के लिए प्रस्ताव" पर भारत के विधि आयोग की 206वीं
रिपोर्ट अग्रेषित कर रहा हूँ ।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोसल ज्यूरिस्ट, ए सिविल राइट्स ग्रुप
बनाम भारत संघ के बीच रिट याचिका (C) सं. 6179/2007 में विधि आयोग
से यह सिफारिश की थी कि वह इस बात की परीक्षा करे कि क्या यूनाइटेड
किंगडम में प्रचलित कोरोनर्स ऐक्ट, 1988 के समान किसी विधान की इस
देश में आवश्यकता है और क्या इस प्रयोजन के लिए कोई उपयुक्त प्रस्ताव
इस संबंध में संसद से किया जा सकता है ।

इस दृष्टि से आयोग ने इस अध्ययन का उत्तरदायित्व अपने ऊपर
लिया । इसने कोरोनर्स ऐक्ट, 1988 (यू.के.) की और विद्यमान मृत्यु
समीक्षक अधिनियम, 1871 की, जो एक केंद्रीय अधिनियम था किंतु
जिसकी भारत में बहुत संकीर्ण राज्य क्षेत्रीय सीमाएं थीं अर्थात् कलकत्ता
और मुंबई के उच्च न्यायालयों की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता,

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय दंड संहिता, 1860 के सुसंगत उपबंधों के साथ परीक्षा की। आयोग संविधान के अनुच्छेद 21 के बहुत अधिक विस्तृत किए गए परिक्षेत्र से अर्थात् किसी व्यक्ति की मृत्यु के सही कारण को, विशेष रूप से जब मृत्यु अप्राकृतिक हो या उसके चारों तरफ संदिग्ध परिस्थितियां हो, जानने के अधिकार से अवगत है।

आयोग का विचार है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के ठीक और वास्तविक कारण की जांच करने के लिए, चाहे ऐसे व्यक्ति की मृत्यु देश की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर हुई हो, किसी स्वतंत्र प्राधिकारी की आवश्यकता है।

तदनुसार एक प्रारूप विधेयक संलग्न किया गया है और वह इस रिपोर्ट के साथ उपाबंध के रूप में संलग्न है।

आयोग इस रिपोर्ट को तैयार करने में डा. आर. जी. पाडिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई योग्य सहायता को रिकार्ड पर अंकित करता है।

सादर

भवदीय,

ह/-

(डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन्)

डा. एच. आर. भारद्वाज,
विधि और न्याय मंत्री,
भारत सरकार,
विधि और न्याय मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली - 110001

भारत का विधि आयोग

संपूर्ण भारत को लागू नये मृत्यु समीक्षक अधिनियम के अधिनियमन के लिए प्रस्ताव

विषय-वस्तु

क्र. सं.	नाम	पृष्ठ सं.
1.	प्रस्तावना	9-13
2.	उपाबंध मृत्यु समीक्षक विधेयक, 2008	14-34

प्रस्तावना

अप्राकृतिक मृत्युओं में, विशेष रूप से अस्पतालों जैसे स्थानों, पुलिस गोला-बारी और पुलिस मुठभेड़ों, रेलों और अन्य यानों में और घरों में भी दहेज मृत्युओं के रूप में, जिनसे राज्य के अधिकारियों की अपराध करने में साथ देने की प्रबल संभावना के साथ अवैध साधनों को अपनाए जाने का संदेह उत्पन्न होता है, हाल में हुई असामान्य वृद्धि के कारण विभिन्न क्षेत्रों में गंभीर चिन्ता व्यक्त की गई है। यह भी देखा गया है कि आपराधिक मामलों में, भिन्न प्रकार की शव-परीक्षा रिपोर्टों और साक्षियों के कथनों से, चौंकाने वाली दर से दोषमुक्ति हुई है।

इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 21 के क्षेत्र का उच्चतम न्यायालय द्वारा अत्यधिक विस्तार किया गया है जिससे कि उसमें सही जानकारी प्राप्त करने का अधिकार या उसे रखने का अधिकार सम्मिलित किया जा सके और इसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु के सही कारण को जानने का अधिकार भी सम्मिलित होगा।

यह भी स्पष्ट है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु का सही और सच्चा कारण मालूम हो जाता है, विशेष रूप से जबकि मृत्यु अप्राकृतिक हो या उसके चारों ओर संदिग्ध परिस्थितियां हों, तो यह लोक हित के लिए बहुत उपयोगी होगा और इससे हमारी लोकतांत्रिक सरकार का नैतिक तानाबाना पर्याप्त रूप से सुदृढ़ होगा।

इस समय संपूर्ण देश में विद्यमान मृत्यु समीक्षक अधिनियम, 1871 बहुत सीमित राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता अर्थात् कलकत्ता और मुंबई उच्च न्यायालयों की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता, के संबंध में ही लागू होता है और इस प्रकार इन दोनों राज्यों की भी संपूर्ण राज्य क्षेत्रीय सीमाएं उक्त अधिनियम के अंतर्गत नहीं लाई गई हैं ।

बहुत से क्षेत्रों से जिनके अंतर्गत न्यायिक विनिश्चय के द्वारा भी है, सुझाव दिए गए हैं कि ऐसा कोई अधिनियम संपूर्ण देश के लिए बनाया जाना चाहिए । रिट याचिका सं. (C) 6179/2007 में, जो सोशल ज्यूरिस्ट, ए सिविल राइट्स ग्रुप और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के बीच में थी, दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने तारीख 12.10.2007 के अपने आदेश द्वारा विधि आयोग से सिफारिश की है कि वह यह परीक्षा करे कि क्या यूनाइटेड किंगडम में प्रचलित कोरोनर्स ऐक्ट, 1988 के समान किसी विधान की इस देश में आवश्यकता है और क्या इस प्रयोजन के लिए कोई उपयुक्त प्रस्ताव इस संबंध में संसद से किया जाना चाहिए । तथापि पूर्वोक्त मामले के पैरा 25 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का संप्रेक्षण कि "भारत में स्वीकार्य रूप से कोई समतुल्य विधान नहीं है और न किसी के प्रति हमारा ध्यान पक्षकारों के विद्वान् काउंसलों द्वारा आकर्षित किया गया है", सही प्रतीत नहीं होता है और यह स्पष्ट है कि पक्षकारों में से किसी के विद्वान् काउंसल ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का ध्यान विद्यमान मृत्यु समीक्षक अधिनियम, 1871 के प्रति, जो कि एक केंद्रीय

अधिनियम था और भारत में पहले से ही प्रवृत्त था यद्यपि बहुत ही संकीर्ण राज्य क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर, ध्यान आकर्षित नहीं किया ।

देश में मृत्यु समीक्षक अधिनियम के समान किसी विधान की सिफारिश करने के लिए कारण दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष इस तथ्य के कारण उत्पन्न हुआ था कि 5 मास की सुकुमार अवस्था के एक शिशु की इंग्लैंड में मृत्यु हो गई थी किंतु इंग्लैंड में शिशु के माता-पिता द्वारा किए गए विभिन्न साहसी प्रयासों के बावजूद शिशु की मृत्यु का वास्तविक कारण इंग्लैंड में अभिनिश्चित नहीं किया जा सका था । जबकि इंग्लैंड में दो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी - एक शव-परीक्षा पर आधारित थी और दूसरी फॉरेंसिक मेडिसिन एंड साइंस विभाग, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, इंग्लैंड द्वारा दी गई रिपोर्ट पर आधारित थी । माता-पिता उक्त रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थे, किंतु वे यूनाइटेड किंगडम में डॉक्टरों की चिकित्सकीय उपेक्षा को साबित नहीं कर सके, क्योंकि उनके अनुसार मृत्यु का वास्तविक कारण मालूम नहीं किया जा सका और सात वर्षों की लंबी अवधि बीत जाने के पश्चात्, माता-पिता अभागे शिशु का शरीर वर्ष, 2007 में भारत लाए थे तथा सरकारी प्राधिकारियों के साथ कई पत्राचार करने के पश्चात् एक लोकहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में फाइल की गई थी । तथापि दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के विद्यमान उपबंधों की विवेचना करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि यदि मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी तो जब तक कि इंग्लैंड की सरकार द्वारा या

उस देश के किसी प्राधिकारी द्वारा कोई अनुरोध न किया जाए तब तक अभागे शिशु के मृत शरीर की शव-परीक्षा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन दंडिक अपराध के बारे में कोई अन्वेषण करने के लिए बाहर से नहीं की जा सकती थी । आगे दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि गैर भारतीय नागरिकों द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराधों को अंतर्वलित करने वाले मामलों में, ऐसी अधिकारिता इस बात तक सीमित है और इस पर निर्भर है कि क्या उस देश के, जहां अपराध किया गया है, सक्षम प्राधिकारी ने केंद्रीय सरकार से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 166(ख) के अधीन मामले का अन्वेषण कराने के लिए अनुरोध किया है । यदि कोई ऐसा अनुरोध नहीं है तो भारत में कोई पुलिस अधिकारी किसी मामले को रजिस्टर नहीं कर सकता या किसी ऐसे अपराध के किए जाने का, जो भारत के बाहर हुआ है, अन्वेषण नहीं कर सकता ।

संपूर्ण भारत में लागू विधि में एकरूपता रखने की दृष्टि से, इस पर विचार किया जा सकता है कि विद्यमान मृत्यु समीक्षक अधिनियम, 1871 के निरसित किया जाना चाहिए जिससे कि दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंध अर्थात् धारा 174 से धारा 176 तक, कलकत्ता और मुंबई की पूर्वोक्त राज्य क्षेत्रीय अधिकारिताओं में भी, शेष भारत के अतिरिक्त, इस क्षेत्र में शासन कर सकें । आगे यह अनुभव किया जाता है कि इस समय की यह आवश्यकता है कि संपूर्ण भारत को लागू नये मृत्यु समीक्षक अधिनियम का दंड प्रक्रिया संहिता के उक्त उपबंधों के अतिरिक्त, अधिनियमन किया जाए।

पूर्वोक्त की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि भारत सरकार को यह सुझाव दिया जाए कि एक आवश्यक स्वतंत्र प्राधिकरण का किसी व्यक्ति की मृत्यु के सही और वास्तविक कारण की जांच करने के लिए गठन किया जाए चाहे ऐसे व्यक्ति की मृत्यु भारत की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर हुई हो । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम उपाबंध में दिए गए रूप में भारत सरकार से एक आदर्श विधेयक की सिफारिश करते हैं ।

ह/-

(डा. न्यायमूर्ति एआर. लक्ष्मणन)

अध्यक्ष

ह/-

(प्रो. डा. ताहिर महमूद)

सदस्य

ह/-

(डा. डी. पी. शर्मा)

सदस्य-सचिव

तारीख : 10 जून, 2008

मृत्यु समीक्षक विधेयक, 2008

अध्याय - I

प्रारंभिक

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मृत्यु समीक्षक अधिनियम, 2008 है ।
2. इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

अध्याय - II

मृत्यु समीक्षकों की नियुक्ति

3. (1) किसी राज्य के प्रत्येक जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर और प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के लिए भी एक मृत्यु समीक्षक होगा ।

परंतु यह कि एक मृत्यु समीक्षक संबंधित राज्य सरकार द्वारा एक जिले से अधिक के लिए नियुक्त किया जा सकेगा ।

4. प्रत्येक ऐसे अधिकारी की राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति की जाएगी और उसे उसके द्वारा निलंबित किया जा सकेगा या हटाया जा सकेगा ।

5. प्रत्येक मृत्यु समीक्षक को भारतीय दंड संहिता के अर्थातर्गत लोक सेवक समझा जाएगा ।

6. प्रत्येक राज्य में मृत्यु समीक्षकों का पृथक काडर होगा । मृत्यु समीक्षकों को राज्य सरकार द्वारा उनकी अर्हताएं, भर्ती की पद्धति, उनकी सेवा के निबंधनों और शर्तों, जिनमें संबंधित राज्य सरकार द्वारा संदेय उनके वेतन और भत्ते भी होंगे, को अधिकथित करने वाले नियमों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा और प्रत्येक ऐसा मृत्यु समीक्षक संबंधित राज्य का पूर्णकालिक कर्मचारी होगा । मृत्यु समीक्षकों की सेवाएं सर्वत्र दिन के सभी समयों के दौरान उपलब्ध होंगी ।

अध्याय - III

मृत्यु समीक्षकों के कार्य और शक्तियां

7. (1) जब मृत्यु समीक्षक को सूचित किया जाता है किसी व्यक्ति का मृत शरीर उसकी अधिकारिता के भीतर पड़ा हुआ है और यह संदेह करने का युक्तियुक्त कारण है कि ऐसे व्यक्ति की धारा 11 में वर्णित परिस्थितियों में से किसी में मृत्यु हुई है या उसकी अकस्मात ऐसी मृत्यु हुई है जिसका कारण अज्ञात है तो मृत्यु समीक्षक शरीर की प्रारंभिक जांच करने के लिए अग्रसर हो सकेगा ।

परंतु यदि कोई मृत्यु समीक्षक अपने जिले से बाहर यात्रा पर जा रहा है और सड़क पर या किसी अन्य स्थान पर लावारिस किसी मृत शरीर को देखता है और उसकी राय में तुरंत और अत्यावश्यक कार्रवाई की जानी आवश्यक है तो उसको उस मृत शरीर का संज्ञान लेने की राज्यक्षेत्रातीत अधिकारिता भी प्राप्त होगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए, (मृत्यु समीक्षक, यथासाध्य, सूचना की प्राप्ति के पश्चात् उस शरीर का अवलोकन करने और उसकी परीक्षा करने के लिए अग्रसर हो सकेगा । ऐसा अवलोकन और परीक्षा उस पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में, जिसकी अधिकारिता से वह मामला संबंधित है और यदि संभव हो तो मृत व्यक्ति के संबंधियों या मित्रों, यदि कोई हों, की उपस्थिति में की जाएगी और मृत्यु समीक्षक ऐसे संप्रेक्षणों को लिख सकेगा जो शरीर की दृष्टिगोचरता से अपेक्षित हैं । जब किसी जांच को समाप्त किया जाता है तब यदि मृत्यु समीक्षक का मृत्यु के कारण के बारे में समाधान हो जाता है और यदि उसकी राय में कोई शव-परीक्षा आवश्यक नहीं है तो मृत्यु समीक्षक शरीर की अंत्येष्टि कर देने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

8. जहां मृत्यु समीक्षक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि मृत्यु धारा 11 या धारा 12 में वर्णित परिस्थितियों में से किसी में उसकी अधिकारिता के भीतर घटित हुई है और यह कि अग्नि के

द्वारा या अन्यथा शरीर का विनाश हो जाने के कारण या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उल्लंघन में उसकी अंत्येष्टि के कारण या इस तथ्य के कारण कि वह शरीर ऐसे स्थान में पड़ा हुआ है जहां से उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, कोई मृत्यु समीक्षा इस धारा के उपबंधों के आधार पर के सिवाए नहीं की जा सकती है तो वह उन तथ्यों की रिपोर्ट राज्य सरकार को कर सकेगा और राज्य सरकार, यदि वह ऐसा करना वांछनीय समझता है तो मृत्यु से संबंधित कोई मृत्यु-समीक्षा कराने के लिए निदेश दे सकती है । जब कोई ऐसा निदेश दिया जाता है तो मृत्यु-समीक्षक द्वारा तदनुसार मृत्यु समीक्षा की जाएगी और इस धारा के उपबंध ऐसे उपांतरणों के साथ लागू होंगे जो शरीर का अवलोकन करने पर या उसके पश्चात् से अन्यथा किसी मृत्यु-समीक्षा के परिणामस्वरूप आवश्यक हों ।

9. "परीक्षा के लिए शवोत्खनन

23.-(1) कोई मृत्यु समीक्षक ऐसे किसी व्यक्ति के शवोत्खनन का आदेश दे सकता है, जिसकी उसके जिले के भीतर अंत्येष्टि की गई हो और जहां उसे यह प्रतीत होता हो कि निम्नलिखित प्रयोजन के लिए शव की परीक्षा किया जाना आवश्यक है :-

(क) उस व्यक्ति की मृत्यु की समीक्षा करने या उसके शव

या मृत्यु के संबंध में उसके किसी अन्य कृत्य का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए ; या

(ख) किन्हीं ऐसी दंडिक कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए, जो उस व्यक्ति की या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में, जो उस व्यक्ति की, जिसके शव की परीक्षा किए जाने की आवश्यकता है, मृत्यु से संबंधित परिस्थितियों में घिर गया है, संस्थित की गई हैं या अनुध्यात हैं ।

(2) इस धारा के अधीन मृत्यु समीक्षक की शक्ति का प्रयोग उसके हस्ताक्षर सहित अधिपत्र द्वारा किया जाएगा ।

(3) किसी मृत्यु समीक्षक द्वारा इस धारा के अधीन के सिवाए किसी शव का उत्खनन करने का आदेश नहीं दिया जाएगा ।”

10. किसी मृत्यु समीक्षक को उसकी राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर पाए गए किसी मृत शरीर के ऊपर अधिकारिता होगी चाहे मृत्यु देश के किसी भाग में या विदेश में भी घटित हुई हो । कार्रवाई का कारण मृत्यु के कारण पर निर्भर नहीं होगा जो हो सकता है किसी अन्य राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता में उद्भूत हुआ हो जैसे गोली से घाव

या किसी अन्य राज्य क्षेत्र में विष दिया जाना और शव की उपस्थिति स्वयं मृत्यु समीक्षक द्वारा कार्रवाई का कारण अवधारित करेगी ।

11. (1) यदि मृत्यु समीक्षक को धारा 7 के अधीन किसी जांच के पूर्व या उसके दौरान यह प्रतीत होता है कि यह संदेह करने का कारण है कि :-

(क) मृत व्यक्ति की मृत्यु, मानववध, आत्महत्या द्वारा या शिशु हत्या द्वारा की गई है ; या

(ख) मृत्यु किसी दुर्घटना या विष या मशीनरी द्वारा कारित की गई है ; या

(ग) मृत्यु किसी गली, सार्वजनिक सड़क पर या किसी निजी स्थान में किसी यान के उपयोग से उद्भूत होने वाली किसी घटना से कारित हुई है ; या

(घ) मृत्यु ऐसे कारागार में घटित हुई है जिसमें मृत व्यक्ति बंदी था या यह उस समय घटित हुई है जबकि मृत व्यक्ति पुलिस की अभिरक्षा में था ; या

(ङ) यह कि मृत्यु -

कुष्ठ रोगी अधिनियम, 1898 के अधीन नियत किए गए किसी कुष्ठ आश्रम में हुई है ;

(च) भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 के अधीन स्थापित या अनुज्ञप्ति प्राप्त किसी पागलखाने या मानसिक अस्पताल में हुई है ;

(छ) बॉम्बे बॉस्टल स्कूलस ऐक्ट, 1929 के अधीन स्थापित बॉस्टल स्कूल में हुई है ;

(ज) बॉम्बे बेगर्स ऐक्ट, 1945 के अधीन उपबंधित और अनुरक्षित किसी प्राप्तकर्ता केंद्र या प्रमाणित संस्था में हुई है ;

(झ) बॉम्बे चिल्ड्रन ऐक्ट, 1948 के अधीन, यथास्थिति, स्थापित, अनुरक्षित, घोषित या मान्यता प्राप्त किसी प्रमाणित स्कूल, रिमांड होम या योग्य व्यक्ति संस्था या अनुमोदित स्थान में हुई है ;

जिसमें मृत व्यक्ति को यथास्थिति उक्त अधिनियमों के अधीन ऐसे आदेश पारित करने के लिए संक्षम किसी प्राधिकारी के आदेशों के अधीन ग्रहण किया गया, निरुद्ध किया गया, सुपुर्द किया गया, परिरुद्ध किया गया या

रखा गया था ; या

(ज) यह कि मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में हुई थी कि उनका बना रहना या उनकी संभव पुनरावृत्ति जनता या जनता के किसी भाग के स्वास्थ्य या सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली है :

और किसी अन्य मामले में यदि मृत्यु समीक्षक को प्रारंभिक जांच के या तो पूर्व या उसके अनुक्रम में यह प्रतीत होता है कि मृत्यु समीक्षा करने के लिए कोई कारण है तो वह ऐसी मृत्यु समीक्षा करने के लिए, चाहे मृत्यु का कारण उसकी अधिकारिता के भीतर उद्भूत हुआ हो या नहीं, अग्रसर होगा ;

(ट) यह कि मृत्यु किसी अस्पताल / परिचर्या गृह में कारित की गई है, चाहे वह सरकार द्वारा चलाया जा रहा हो, चाहे सार्वजनिक या निजी - न्यास हो या कोई शुद्ध रूप में निजी अस्पताल या परिचर्या गृह हो ;

(ठ) मृत्यु रेल पथ या ट्राम पथ पर या वायु मार्ग में या अन्य यानों में, जो चाहे यांत्रिक रूप से नोदित हों या हस्तचालित हों, हुई है ;

(ड) मृत्यु किसी पुलिस गोली-बारी में घटित हुई है ।

(ण) मृत्यु किसी सार्वजनिक पार्क या लोक समागम के स्थान पर घटित हुई है ;

(त) ऐसी गृहस्थियों के भीतर दहेज मृत्यु, जहां किसी व्यक्ति द्वारा दहेज की मांग के संबंध में कोई शिकायत हो ;

परंतु यह कि किसी मृत्यु समीक्षक को किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की दशा में कोई अधिकारिता नहीं होगी जो रक्षा बलों के किसी पदीय के समादेश के अधीन रक्षा बलों के निरोध या गिरफ्तारी के अधीन है ।”

(2) ऐसी मृत्यु समीक्षा साधारणतया मृत्यु समीक्षक के न्याय सदन में की जाएगी ।

(3) मृत्यु समीक्षक कई व्यक्तियों के शरीरों की एक मृत्यु समीक्षा कर सकता है परंतु यह तब जबकि उन सब के बारे में यह विश्वास किया जाता हो कि उनकी मृत्यु एक ही और समान घटना में या उसके परिणामस्वरूप हुई है ।

(4) प्रत्येक ऐसी मृत्यु समीक्षा के बारे में यह समझा जाएगा कि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के अर्थात्तर्गत कोई

न्यायिक कार्यवाही है और किसी ऐसी मृत्यु समीक्षा के प्रयोजन के लिए मृत्यु समीक्षक को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 340 और धारा 345 के अधीन दंडिक न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी और वह उनका प्रयोग कर सकेगा ।

12. (1) जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु -

(क) मृत्यु समीक्षक की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित किसी कारागार में होती है, वहां कारागार का अधीक्षक,

(ख) पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए होती है, वहां संबंधित थाने का पुलिस भार साधक अधिकारी,

(ग) धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ड) से खंड (ज) तक में निर्दिष्ट स्थानों में से किसी में होती है तो वह अधीक्षक जहां ऐसे स्थान और अन्यत्र के लिए नियुक्त किया गया अधीक्षक है, उस स्थान का भार साधक व्यक्ति,

(घ) धारा 11 के खंड (ट) से (थ) के अधीन आने वाले मामलों के संबंध में, संबंधित प्राधिकारी या व्यक्ति, मृत्यु की रिपोर्ट मृत्यु समीक्षक को करेगा

और शरीर की अंत्येष्टि किए जाने के पूर्व उसके आदेशों की प्रतीक्षा करेगा ।

(2) कारागार का कोई अधीक्षक या कोई ऐसा पुलिस अधिकारी या कोई अधीक्षक या उस स्थान का भार साधक व्यक्ति, जो धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ड) से खंड (ज) में निर्दिष्ट है, खंड (ट) से खंड (थ) तक के अधीन संबंधित प्राधिकारी या व्यक्ति, जो उपधारा (1) की अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर, जुर्माने से जो 500/- रु० तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा ।

13. (1) कोई व्यक्ति जो किसी मृत शरीर पर किसी ऐसी मृत्यु समीक्षा किए जाने का, जो मृत्यु समीक्षक धारा 11 के अधीन करने के लिए आबद्ध है, निवारण करने के आशय से उसकी अंत्येष्टि करता है, शव-दाह करता है या अन्यथा उसका व्ययन करता है, और कोई व्यक्ति जो ऐसे आशय से किसी मृत शरीर की ऐसी अंत्येष्टि, शवदाह या व्ययन का दुष्प्रेरण करता है, किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से, जो 500/- रु० तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा ।

(2) ऐसा दंड उस दंड के अतिरिक्त होगा, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के संबंध में दायी हो सकेगा जिसके लिए

वह मृत व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में या भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के अधीन दोषी पाया जाए ।

14. कोई मृत्यु समीक्षक किसी मृत व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर, या तो कोई प्रारंभिक मृत्यु समीक्षा करने के प्रयोजन के लिए जहां कोई नहीं की गई है या किसी और मृत्यु समीक्षा के लिए जो, मृत्यु समीक्षक की राय में न्याय के हितों के लिए आवश्यक या वांछनीय है, शरीर को खोदकर बाहर निकालने का आदेश दे सकेगा ।

15. मृत्यु समीक्षक स्वयं इतनी संख्या में, जितनी वह ठीक समझे किंतु जो संख्या तीन से कम नहीं होंगी, विश्वसनीय साक्षियों को बुलाकर मृत्यु समीक्षा का संचालन करेगा ।

16. किसी शरीर से संबंधित किसी मृत्यु समीक्षा की पहली बैठक में या उसके पूर्व मृत्यु समीक्षक शरीर का अवलोकन करेगा ।

परंतु जब शरीर से संबंधित कोई प्रारंभिक जांच धारा 7 के अधीन की गई है या चिकित्सीय साक्ष्य या किसी चिकित्सा प्रमाणपत्र से मृत्यु समीक्षक का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा अवलोकन करने से कोई लाभ नहीं होगा तो मृत्यु समीक्षक मृत्यु समीक्षा में शरीर के ऐसे अवलोकन को त्याग सकेगा ।

17. मृत्यु समीक्षक तत्पश्चात् साक्षियों की हाजिरी के लिए उद्घोषणा करेगा या जहां जांच गुप्त की जाती है वहां पृथक रूप से ऐसे व्यक्ति को बुलाएगा जो मृत्यु के संबंध में कुछ भी जानता है ।

18 (1) मृत्यु से संबंधित परिस्थितियों से अवगत सभी व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वे साक्षियों के रूप में मृत्यु समीक्षा में उपस्थित हों - मृत्यु समीक्षक ऐसी परिस्थितियों की और मृत्यु के कारण की जांच करेगा और यदि जांच के पूर्व या उसके दौरान उसे सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति, चाहे उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर या बाहर, साक्ष्य दे सकता है या उससे तात्त्विक किसी दस्तावेज को प्रस्तुत कर सकता है, तो वह ऐसा समन जारी कर सकेगा जिसमें मृत्यु समीक्षा पर उस व्यक्ति से हाजिर होने और साक्ष्य देने या ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी ।

(2) जब इस प्रकार समन किया गया कोई व्यक्ति उपस्थित होने में असफल रहता है और यह साबित कर दिया जाता है कि समन की उस पर सम्यक रूप से समय पर तामील कर दी गई है जिससे वह उसके अनुसार हाजिर हो सके और उक्त असफलता के लिए कोई युक्तियुक्त कारण नहीं दिया जाता है तो मृत्यु समीक्षक अपने कारण लेखबद्ध करने के पश्चात् उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर सकता है । ऐसा वारंट इस प्रकार निष्पादित किया

जाएगा मानो वह दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 87 के अधीन जारी किया गया हो ।

(3) किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो उपधारा (1) के अधीन जारी की गई समनों की अवज्ञा करता है, यह समझाया जाएगा कि उसने भारतीय दंड संहिता की, यथास्थिति, धारा 174, धारा 175 या धारा 176 के अधीन अपराध किया है ।

(4) साक्ष्य देने के लिए कैदियों का लाना कारित करने के प्रयोजन के लिए मृत्यु समीक्षक को बंदी अधिनियम, 1900 के भाग IX के अर्थातर्गत दंड न्यायालय समझा जाएगा ।

19. (1) यदि धारा 7 के अधीन किसी शरीर का अवलोकन करने के लिए अग्रसर होने के पूर्व या अवलोकन करने पर या जूरी द्वारा मृत्यु समीक्षा के किसी प्रक्रम पर, मृत्यु समीक्षक को यह प्रतीत होता है कि शरीर की शव-परीक्षा मृत्यु का कारण अभिनिश्चित करने के लिए आवश्यक है तो वह साक्षी के रूप में हाजिर होने के लिए निमंत्रित किए गए सिविल सर्जन द्वारा या सम्यक रूप से अर्हित रजिस्ट्रीकृत किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा ऐसी परीक्षा किए जाने के लिए निदेश दे सकेगा । मृत्यु समीक्षक शरीर के किसी अंग या भाग का या उसकी अंतर्वस्तुओं का विश्लेषण करने के लिए भी निदेश दे सकेगा । सरकार के रासायनिक परीक्षक और मृत्यु समीक्षक

के सर्जन से भिन्न प्रत्येक चिकित्सीय साक्षी ऐसे युक्तियुक्त पारिश्रमिक का हकदार होगा जो मृत्यु समीक्षा ठीक समझे । ऐसी शव-परीक्षा के प्रयोजन के लिए मृत्यु समीक्षक शरीर को अपनी अधिकारिता के भीतर किसी स्थान पर, जिसकी उस प्रयोजन के लिए व्यवस्था की जाए, हटाने का आदेश दे सकेगा ।

(2) किसी ऐसे दस्तावेज का, जिसका सरकार के रासायनिक परीक्षक या सहायक रासायनिक परीक्षक के हस्ताक्षर के अधीन किसी ऐसी विषय-वस्तु या चीज पर, जो उसे परीक्षा या विश्लेषण के लिए सम्यक रूप से प्रस्तुत की गई हो, रिपोर्ट होना तात्पर्यित हो और जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के अनुक्रम में रिपोर्ट हो, इस अधिनियम के अधीन किसी मृत्यु समीक्षा में और दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी पश्चात्वर्ती जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकेगा ।

20. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मृत्यु समीक्षक इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर सुरक्षित अभिरक्षा के परिरक्षण के प्रयोजन के लिए, शरीर को अपनी अधिकारिता के भीतर किसी ऐसे स्थान पर, जिसकी उस प्रयोजन के लिए व्यवस्था की गई हो, हटाने का आदेश दे सकेगा ।

21. (1) इस अधिनियम के अधीन दिए गए सभी साक्ष्य, उपधारा

(2) में उपबंधित दशा के सिवाए, शपथ पर होंगे और मृत्यु समीक्षक उस व्यक्ति की ओर से, जो मृत व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए या मृत्यु कारित करने में संबंधित होने के लिए अभिकथित है, साक्ष्य प्राप्त करने के लिए आबद्ध होगा ।

(2) यदि ऐसा व्यक्ति स्वयं कोई कथन करने की वांछा करता है तो मृत्यु समीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह उसे चेतावनी दे कि वह कोई कथन करने के लिए आबद्ध नहीं है किंतु यदि ऐसा व्यक्ति बारबार कहता है तो मृत्यु समीक्षक, उसको कोई शपथ दिलाए बिना, उसके कथन को पूर्ण रूप से उसे सम्यक रूप से यह चेतावनी देने के पश्चात् अभिलिखित करेगा कि किसी अपराध में फंसाने वाले कथन का जो वह करता है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन किसी पश्चात्वर्ती जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य में उपयोग किया जा सकेगा ।

(3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 26 के प्रयोजन के लिए मृत्यु समीक्षक को मजिस्ट्रेट समझा जाएगा ।

(4) अंग्रेजी भाषा से अपरिचित साक्षियों की परीक्षा दुभाषिया के माध्यम से की जाएगी जिसे प्रत्येक साक्षी से किए गए प्रश्न और उसके द्वारा दिए गए उत्तर का सही रूप से निर्वचन करने की शपथ दिलाई जाएगी ।

22. मृत्यु समीक्षक समय-समय पर और एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृत्यु समीक्षा का स्थगन कर सकेगा ।

23. (1) यदि किसी मृत्यु से संबंधित किसी मृत्यु समीक्षा में, मृत्यु समीक्षक को सूचित किया जाता है कि दांडिक कार्यवाहियां किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी व्यक्ति के विरुद्ध मृतक की मृत्यु से संबंधित किसी अपराध के संबंध में संस्थित की गई है तो वह मृत्यु समीक्षा का स्थगन कर सकेगा और अपनी कार्यवाहियाँ मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए “दांडिक कार्यवाहियां” अभिव्यक्ति से ऐसे किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष और किसी न्यायालय के समक्ष, जिसको अभियुक्त विचारण के लिए सुपुर्द किया गया है या जिसके समक्ष उस व्यक्ति की दोषसिद्धि से कोई अपील सुनी जाती है, कार्यवाहियां अभिप्रेत हैं और दांडिक कार्यवाहियां तब तक समाप्त हुई नहीं समझी जाएगी जब तक कि उनके अनुक्रम में कोई आगे अपील नहीं की जा सकती है ।

24. जब सभी साक्षियों की परीक्षा कर ली जाती है तो मृत्यु समीक्षक साक्ष्य का सारांश तैयार करेगा और मृत्यु समीक्षक तत्पश्चात् आवश्यक ब्यौरों और कारणों सहित अपनी रिपोर्ट पुलिस आयुक्त को प्रस्तुत करेगा । रिपोर्ट को किसी न्यायालय या किसी अन्य दांडिक

कार्यवाही में तात्त्विक साक्ष्य के रूप में माना जाएगा ।

25. मृत्यु समीक्षक, जहां रिपोर्ट यह विश्वास करने में उसको न्यायोचित ठहराती है कि मृत व्यक्ति की मृत्यु किसी ऐसे कार्य द्वारा हुई थी जो भारत में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध के बराबर है तो वह उस व्यक्ति के पकड़े जाने के लिए, जिसे मृत व्यक्ति की मृत्यु कारित करने वाला पाया गया है, अपना वारंट जारी कर सकेगा और उसको तत्काल उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जो विचारण के लिए उसको सुपुर्द करने के लिए सशक्त है ।

26. जब कार्यवाहियां बंद कर दी जाती हैं या उसके पूर्व, यदि मृत्यु समीक्षा को स्थगित करना आवश्यक हो तो मृत्यु समीक्षक उस शरीर की, जिसके संबंध में मृत्यु समीक्षा की गई है, अंत्येष्टि के लिए अपना वारंट देगा ।

27. कोई मृत्यु समीक्षा किसी तकनीकी त्रुटि के कारण अभिखंडित नहीं की जाएगी ।

किसी तकनीकी त्रुटि के मामले में उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश, यदि वह ठीक समझता है तो, मृत्यु समीक्षा का संशोधन किए जाने का आदेश दे सकेगा और उसे तत्काल तदनुसार संशोधित किया जाएगा ।

परंतु कोई व्यक्ति, जो मृत्यु समीक्षक की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है, किसी दूसरे मृत्यु समीक्षक की नियुक्ति के लिए और उसकी रिपोर्ट दिए जाने के लिए उच्च न्यायालय में समावेदन कर सकेगा और यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है तो वह तदनुसार निदेश दे सकेगा । उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता के भीतर किसी भिन्न जिले के किसी मृत्यु समीक्षक द्वारा मृत्यु समीक्षा किए जाने के लिए भी निदेश दे सकेगा ।

28. मृत्यु समीक्षक का यह और कर्तव्य नहीं होगा कि वह यह जांच करे कि अपने ही कार्य से मरने वाला कोई व्यक्ति आत्मघाती था या नहीं, किसी प्रपलायी माल का अभिग्रहण करने के लिए निखात निधि या ध्वंसावशेषों की जांच करे, प्रक्रिया का निष्पादन करे या प्रयोग करे क्योंकि मृत्यु समीक्षक के पास इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त कोई अधिकारिता नहीं है ।

अध्याय IV

मृत्यु समीक्षकों के अधिकार और दायित्व

29. मृत्यु समीक्षक द्वारा चिकित्सा साक्षियों को फीस के लिए और वैसे ही सम्यक रूप से किए गए सभी संवितरणों के लिए राज्य सरकार द्वारा उसको प्रतिसंदाय किया जाएगा ।

30. प्रत्येक मृत्यु समीक्षक समय-समय पर, राज्य सरकार की पूर्व सहमति से, अपने हस्ताक्षर से मृत्यु समीक्षाओं को करने में अपने उप के रूप में उसके लिए कार्य करने के लिए किसी उचित व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा ।

सभी मृत्यु समीक्षाएं और अन्य कार्य, जो किसी ऐसे उप द्वारा, किसी ऐसी नियुक्ति के अधीन या उसके आधार पर किए गए हों, उसको नियुक्त करने वाले मृत्यु समीक्षक के कार्य समझे जाएंगे :

परंतु कोई ऐसा उप किसी ऐसे मृत्यु समीक्षक के लिए, उक्त मृत्यु समीक्षक की बीमारी के दौरान या किसी विधिपूर्ण तथा युक्तियुक्त कारण से उसकी अनुपस्थिति के दौरान के सिवाए, कार्य नहीं करेगा ।

प्रत्येक ऐसी नियुक्ति उस मृत्यु समीक्षक द्वारा जिसके द्वारा उसे किया गया था, किसी भी समय रद्द की जा सकेगी और प्रतिसंहत की जा सकेगी ।

31. मृत्यु समीक्षक और उप मृत्यु समीक्षक, अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन करने में लगे होने के दौरान गिरफ्तारी से विशेषाधिकार प्राप्त होंगे ।

32. इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल

रहने पर या अन्यथा अपने पद का निष्पादन करने में स्वयं दुराचरण करने पर कोई मृत्यु समीक्षक या उप मृत्यु समीक्षक ऐसे जुर्माने या ऐसी अवधि के, जो तीन मास से अधिक नहीं होगी, सादा कारावास के लिए दायी होगा, जो उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति, संक्षिप्त परीक्षा पर और असफलता अथवा दुराचरण के सबूत पर, अधिरोपित करना ठीक समझे ।

33. उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति की शिकायत पर कार्य कर सकेगा । तथापि कोई दांडिक कार्यवाही किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा किसी मृत्यु समीक्षक के विरुद्ध उसके कर्तव्य का कोई भाग निष्पादित करने में उसके असफल रहने के कारण या किसी दुराचरण के लिए प्रारंभ नहीं की जाएगी ।

34. राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति होगी ।